"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2012—भाद्र 23, शक 1934

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-8/18/2011.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 131-ग सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 122-ख सहपठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ नगर पालिक (लोक प्रकटन) नियम, 2012 कहलाएंगे.

   (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

   (3) ये नियम सभी नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायत पर लागू होगा.

2. **परिभाषाएं.—**
   (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, नगर पालिक निगमों की स्थिति में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों की स्थिति में छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);

(ख) "सक्षम अधिकारी" से अभिप्रेत है, नगर पालिक निगम के संबंध में नगर पालिका आयुक्त, तथा नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी;

(ग) "प्रारूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्रारूप;

(घ) "जानकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची, जो इन नियमों से संलग्न है तथा इसका भाग है, के कॉलम (2) में सूचीबद्ध जानकारी;

(ङ) "नगर पालिका" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत;

(च) "लोक प्रकटन" से अभिप्रेत है, अनुसूची, जो इन नियमों से संलग्न है तथा इसका भाग है, के कॉलम (5) में सूचीबद्ध रीति अनुसार जानकारी का प्रकटन;

(छ) "लोक सूचना अधिकारी" से अभिप्रेत है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) के अंतर्गत नगर पालिका में इस प्रकार नामनिर्दिष्ट अधिकारी;

(झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, अनुसूची जो इन नियमों से संलग्न है तथा इसका भाग है.

(2) ऐसे शब्द और पद जो यहां परिभाषित नहीं है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में परिभाषित है.

3. **नोडल अधिकारी की नियुक्ति.**—

(1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के तीस दिनों के भीतर सभी नगर पालिकाओं में सक्षम प्राधिकारी, जन सूचना अधिकारी को इन नियमों में अंतर्विष्ट प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे.

(2) किसी भी कारण से जन सूचना अधिकारी के अनुपस्थित होने पर, सक्षम प्राधिकारी, द्वितीय श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के अन्य किसी अधिकारी को इन नियमों के अधीन नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे.

(3) यदि उप-नियम (2) के अंतर्गत किसी नोडल प्राधिकारी नियुक्त नहीं किया गया हो तो सक्षम प्राधिकारी को इन नियमों के अधीन नोडल अधिकारी माना जायेगा.

4. **जानकारी का लोक प्रकटन.**— नोडल अधिकारी का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जानकारी का प्रकटन, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट प्रारूप पर कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अवधिकता में कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाये.

5. **अननुपालन (अनुपालन में चूक) कर्तव्य की अवहेलना होगी :**— इन नियमों में अंतर्विष्ट किन्हीं प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना (अनुपालन), दोषी अधिकारी के द्वारा कर्तव्य की अवहेलना होगी, जो शासित सेवा नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

अनुसूची

[नियम 2(झ) एवं 4 देखिए]

स. क्र.	जानकारी	प्रकटन की अवधिकता	प्रकटन हेतु प्रारूप	प्रकटन का रीति	प्रकटन हेतु समय सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कालावधि के दौरान प्रदान किये गये नये ठेके.	तिमाही	पीडीएल-1	• वेबसाइट • नोटिस बोर्ड • समाचार पत्र	तिमाही की समाप्ति के पश्चात् 1 सप्ताह.
2.	कालावधि के दौरान काली सूची में शामिल ठेकेदार.	वार्षिक	पीडीएल-2	• वेबसाइट • नोटिस बोर्ड • समाचार पत्र	वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 1 माह.
3.	कालावधि के दौरान प्राधिकृत कालोनाईजरों की सूची में परिवर्तन.	छमाही	पीडीएल-3	• वेबसाइट • नोटिस बोर्ड • समाचार पत्र	छमाही की समाप्ति के पश्चात् 2 सप्ताह.
4.	कालावधि के दौरान कालोनाईजरों को प्रदत्त विकास अनुज्ञा.	तिमाही	पीडीएल-4	• वेबसाइट • नोटिस बोर्ड	तिमाही की समाप्ति के पश्चात् 1 सप्ताह.
5.	कालावधि के दौरान कालोनाईजरों को प्रदत्त भवन निर्माण अनुज्ञा.	तिमाही	पीडीएल-5	• वेबसाइट • नोटिस बोर्ड	तिमाही की समाप्ति के पश्चात् 1 सप्ताह.
6.	कालावधि के दौरान नगर पालिका के पक्ष में बंधक, कालोनियों के भू-खण्ड/आवास/फ्लैट्स की सूची में परिवर्तन.	तिमाही	पीडीएल-6	• वेबसाइट • नोटिस बोर्ड • समाचार पत्र	तिमाही की समाप्ति के पश्चात् 1 सप्ताह.
7.	कालावधि के दौरान अनुज्ञापित वध शालाओं की सूची में परिवर्तन.	वार्षिक	पीडीएल-7	• वेबसाइट • नोटिस बोर्ड • समाचार पत्र	वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 1 माह.
8.	कालावधि के दौरान वध शाला नियम के अंतर्गत अनुज्ञापित निरीक्षकों की सूची में परिवर्तन.	छमाही	पीडीएल-8	• वेबसाइट • नोटिस बोर्ड	छमाही की समाप्ति के पश्चात् 2 सप्ताह.
9.	कालावधि के दौरान नगर पालिक ठोक अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत मलबा का संग्रहण तथा निपटारा करने हेतु नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की सूची में परिवर्तन.	वार्षिक	पीडीएल-9	• वेबसाइट • नोटिस बोर्ड • समाचार पत्र	वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 1 माह.

प्रारूप-पीडीएल-1

जानकारियों का लोक प्रकटन

नगरपालिका का नाम ....

.... को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान प्रदान किये गये नये ठेके

क्र.	ठेके की संक्षिप्त जानकारी	ठेकेदार का नाम	ठेके का मूल्य (लाख रु. में)	ठेका पूर्ण करने हेतु दी गई समयावधि

प्रारूप-पीडीएल-2

जानकारियों का लोक प्रकटन

नगरपालिका का नाम ....

.... को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान काली सूची में शामिल ठेकेदार

क्र.	फर्म का नाम	मालिक/भागीदार/निदेशकों का नाम	फर्म का पता

प्रारूप-पीडीएल-3

जानकारियों का लोक प्रकटन

नगरपालिका का नाम ....

.... को समाप्त होने वाली छमाही के दौरान पंजीकृत कालोनाईजरों की सूची में परिवर्तन

क्र.	कालोनाईजर का नाम	पंजीयन क्र.	मालिक/भागीदार/निदेशकों का नाम	फर्म का पंजीकृत पता	परिवर्तन : पंजीयन प्रदत्त/निरस्त	प्रभावशील होने की तिथि

प्रारूप-पीडीएल-4

जानकारियों का लोक प्रकटन

नगरपालिका का नाम ....

.... **को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान कालोनाईजरों को प्रदत्त विकास की अनुमति की सूची**

क्र.	कालोनाईजर का नाम	पंजीयन क्र.	अनुज्ञा की तिथि	विकास कार्य अनुज्ञा की जानकारी		
				कालोनी का नाम	कहां स्थित है	रकबा

प्रारूप-पीडीएल-5

जानकारियों का लोक प्रकटन

नगरपालिका का नाम ....

.... **को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान कालोनाईजरों को प्रदत्त भवन निर्माण अनुज्ञा**

क्र.	कालोनाइजर का नाम	पंजीयन क्र.	अनुज्ञा की तिथि	विकास कार्य अनुज्ञा की जानकारी		
				कालोनी का नाम	कहां स्थित है	आवास/फ्लैट्स की संख्या

प्रारूप-पीडीएल-6

जानकारियों का लोक प्रकटन

नगरपालिका का नाम ....

.... **को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान नगरपालिका के पक्ष में बंधक, कालोनियों के भू-खण्ड/आवास/फ्लैट्स की सूची में परिवर्तन**

क्र.	कालोनी का नाम	कहां स्थित है	बंधक/बंधन मुक्त	बंधक बनाई गई/मुक्त की गई संपत्ति की संख्या		
				भू-खण्ड	आवास	फ्लैट्स

प्रारूप-पीडीएल-7
जानकारियों का लोक प्रकटन

नगरपालिका का नाम ....

.... **को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान अनुज्ञापित वध शालाओं की सूची में परिवर्तन**

क्र.	वध शाला का नाम	कहां स्थित है	मालिक का नाम	अनुज्ञापित क्षमता	अनुज्ञा क्रमांक

प्रारूप-पीडीएल-8
जानकारियों का लोक प्रकटन

नगरपालिका का नाम ....

.... **को समाप्त होने वाली छमाही के दौरान वधशाला के अनुज्ञापित निरीक्षकों की सूची में परिवर्तन**

क्र.	अनुज्ञापित निरीक्षक का नाम	पता	अनुज्ञा क्र.	अनुज्ञा जारी करने की तिथि	संपर्क नंबर

प्रारूप-पीडीएल-9
जानकारियों का लोक प्रकटन

नगरपालिका का नाम ....

.... **को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान मलबा का संग्रहण तथा निपटान करने हेतु नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की सूची में परिवर्तन**

क्र.	व्यक्ति/एजेन्सी का नाम	परिवर्तन: शामिल/हटाया गया	पता	संपर्क व्यक्ति	दूरभाष क्रमांक

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 5-8/18/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-8/18/2011 दिनांक 14-09-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 14th September 2012

NOTIFICATION

No. F-5-8/18/2011.—In exercise of the powers conferred by Section 131-C read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Sections 122-B read with Section 355 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title, extent and commencement.—**
   (1) These Rules may be called Chhattisgarh Municipal (Public Disclosure Law) Rules, 2012.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

   (3) These rules shall apply to all Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchayat.

2. **Definitions :—** In these rules, unless the context requires otherwise,
   (a) "Act" means in case of Municipal Corporation the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and in case of Municipal Council and Nagar Panchayats the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

   (b) "Competent Authority" means in relation to Municipal Corporation, the Municipal Commissioner, and in relation to Municipal Council and the Nagar Panchayat, the Chief Municipal Officer.

   (c) "Form" means the form appended to these rules.

   (d) "Information" means the information listed in column 2 of the Schedule attached to and forming part of these rules.

   (e) "Municipality" means Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat as the case may be.

   (f) "Public Disclosure" means the disclosure of information according to the mode listed in column 5 of the Schedule attached to and forming part of these rules.

   (g) "Public Information Officer" means the officer so designated in the Municipality under the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005).

   (h) "Schedule" means the Schedule attached to these rules and forming part of it.

   (2) Words and terms not defined here shall have the same meaning as defined in the Act.

3. **Appointment of Nodal Officer.—**
   (1) Within thirty days of coming into force of these rules, the Competent Authority in all Municipalities shall appoint the Public Information Officer as Nodal Officer for ensuring due compliance of the provisions contained in these rules.

   (2) In the absence of the Public Information Officer for any reason whatsoever, the Competent Authority may appoint another officer not below the rank of Class-II as the Nodal Officer under these rules.

   (3) If nobody has been appointed as Nodal Officer under sub-rule (2), the Competent Authority will be deemed to be the Nodal Officer under these rules.

4. **Public Disclosure of Information.—** It shall be the duty of the Nodal Officer to ensure that information as specified in column (2) is disclosed in the mode specified in column (5) on form specified in column (4) at periodicity specified in column (3) within the time limit specified in column (6) of the Schedule.

5. **Non-compliance to constitute dereliction of duty.—**Non-compliance of any of the provisions contained in these rules shall constitute dereliction of duty, punishable in accordance with the Service Rules governing the defaulting officer.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

FORM-PDL-4

PUBLIC DISCLOSURE OF INFORMATION

Name of the Municipality ____________________

Development Permission Granted During the Qquarter Ended __________

Sl. No.	Name of the Colonizer	Registration Number	Date of Permission	Particulars of Development Permission		
				Name of Colony	Location	Area

FORM-PDL-5

PUBLIC DISCLOSURE OF INFORMATION

Name of the Municipality ____________________

Building Permission Granted to Colonizers During the Quarter Ended __________

Sl. No.	Name of the Colonizer	Registration Number	Date of Permission	Particulars of Building Permission		
				Name of Colony	Location	Number of Houses/ Flats

FORM-PDL-6

PUBLIC DISCLOSURE OF INFORMATION

Name of the Municipality ____________________

Changes in List of Plots/Houses/Flats in Colonies Mortgaged During the Quarter Ended __________

Sl. No.	Name of the Colony	Location	Mortgage/ Release of Mortgage	Number of Property Units Mortgaged/Released		
				Plots	Houses	Flats

FORM-PDL-7

PUBLIC DISCLOSURE OF INFORMATION

Name of the Municipality ____________________

Changes in List of Licensed Slaughter Houses During the Year Ended ________

Sl. No.	Name of the Slaughter House	Location	Owner's Name	Licensed Capacity	License Number

FORM-PDL-8

PUBLIC DISCLOSURE OF INFORMATION

Name of the Municipality ____________________

Changes in List of Licensed Inspectors of Slaughter Houses During the Half-Year Ended ________

Sl. No.	Name of the Licensed Inspector	Address	License No.	Date of Grant of License	Contact Number

FORM-PDL-9

PUBLIC DISCLOSURE OF INFORMATION

Name of the Municipality ____________________

Changes in List of Designated Persons for Collection and Disposal of Debris During the Year Ended ________

Sl. No.	Name of the Person/Agency	Change: Added/Deleted	Address	Contact Person	Telephone Number

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.